बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

7/ विविध (महा0 ले0 एवं ह0) 05–26/2011 5882 (E) पटना, दिनांक– 10/11/11

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद सिंह
विशेष पदाधिकारी (यातायात)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी उपभाग(राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी अंचल (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)
सभी कार्यपालक अभियंता
सभी पथ प्रमंडल / राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल / राज्य उच्च पथ प्रमंडल /
यांत्रिक प्रमंडल / राष्ट्रीय उच्च पथ यांत्रिक प्रमंडल
उप निदेशक
प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान / परीक्षण एवं शोध संस्थान
सहायक अभियंता, सम्पर्क पदाधिकारी,
बिहार भवन, नई दिल्ली
अवर सचिव (लेखा / मुख्यालय)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

विषयः– मुख्य शीर्ष–8000–आकस्मिकता निधि अग्रिम के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग– सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–827 दिनांक–18.10.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सचिव (व्यय), वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–827 दिनांक–18.10.2011 के साथ संलग्न पत्रांक–328 दिनांक–02.05.2011 की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

निदेशित किया जाता है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय। कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को भी दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

पत्र संख्या-अ0पा0-144/2010 - 827 /वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव, (व्यय)
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक: 18.10.2011

विषय:- **मुख्य शीर्ष-8000-आकस्मिकता निधि अग्रिम के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-अ0पा0-144/2010-422/वि0 दिनांक-31.05.2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि शीर्ष-8000-आकस्मिकता निधि अग्रिम संबंधी विपत्रों को पारित करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा पत्रांक-328 दिनांक-02.05.2011 के माध्यम से सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे तथा आपसे अनुरोध किया गया था कि इस आशय की सूचना अपने विभाग के नियंत्री पदाधिकारी/निदेशक/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दी जाए ।

उक्त संबंध में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा अपने पत्रांक-194 दिनांक-14.09.2011 के माध्यम से सूचित किया गया है कि आकस्मिकता निधि अग्रिम विपत्र पारित करने में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें लेखांकरण में कठिनाई हो रही है ।

अतः अनुरोध है कि मुख्य शीर्ष-8000- आकस्मिकता निधि अग्रिम संबंधी विपत्रों को पारित करने के क्रम में वित्त विभाग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनः अपेक्षित निदेश संबंधित पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक-पत्रांक-328 दि0- 02.05.2011 की प्रति

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव, (व्यय)

ज्ञापांक- 827 पटना, दिनांक- 18.10.2011.

प्रतिलिपि - लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय बिहार, पटना को उनके पत्रांक-194 दिनांक-14.09.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव, (व्यय)

D:\Bugdet data\Budget_Letter\Letter_0811

पत्र संख्या:- 3ाे ४ाे - 144/2010 वि(2), 328

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय),

सेवा में,

सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 02.05.2011

विषय: मुख्य शीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि अग्रिम संबंधी विपत्रों के पारित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उप महालेखाकार (ले0 एवं हक0) [illegible] का कार्यालय बिहार, पटना के पत्रांक 110 दिनांक 11.03.2011 द्वारा सूचित किया गया है कि आकस्मिकता निधि से प्रत्यानीत किए गए व्यय को मुख्यशीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि के लेखा में वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है जबकि कोषागार में इस व्यय को इस मद में अलग से दिखाया जाना अपेक्षित है। वित्त विभाग के पत्र संख्या–बी.टी.–161 / 64 / 6618–एफ दिनांक–24.06.1964 से यह निर्देश किया गया था कि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम में से किए गए व्यय से संबंधित विपत्रों के शिखर पर "आकस्मिकता निधि" शब्द का उल्लेख कर प्रेषित किया जाना होगा एवं कोषागार के [illegible] के प्रेषण में आकस्मिकता निधि से हुए व्यय को अलग से प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित

[illegible] यह निर्णय लिया गया है कि कोषागार से आकस्मिकता निधि से संबंधित [illegible] पारित करने के समय निम्न जांच करने के उपरान्त ही आकस्मिकता निधि से संबंधित विपत्र पारित किए जाएंगे।

1. आकस्मिकता निधि से संबंधित विपत्र पर बड़े अक्षरों में <u>लाल स्याही से 8000 आकस्मिकता निधि</u> अंकित होनी चाहिए।

2. आकस्मिकता निधि विपत्र के साथ आकस्मिकता निधि अग्रिम के स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न होनी चाहिए।

CTMIS सॉफ्टवेयर में आकस्मिकता निधि के विपत्रों को पारित करने के समय बिल टाईप में आकस्मिकता निधि विपत्र को क्लिक करना अपेक्षित होगा। सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था की गई है कि [illegible] को जेनरेट करने के समय अन्य सूचियों के अतिरिक्त आकस्मिकता निधि 8000 से हुए व्यय के लिए भी अलग से अनुसूची निकलेगी जिसे महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखों के साथ भेजा जाना होगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय)।

D:\T.R.Gaur\Letter2009